

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 03 / विविध-06-06 / 2015..... / राँची, दिनांक:..... /

—: आदेश :—

वित्त विभाग के संकल्प सं.—3445 दिनांक 28.09.2014 के आलोक में दिनांक 27.07.2015 को विभागीय प्रधान सचिव की अध्यक्षता में आहुत सेवा नियमितीकरण समिति की बैठक में प्राप्त अनुशांसा के आलोक में श्री दिनेश प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता (आई.डी.—5300), सिंचाई प्रमंडल, बूण्ड के दिनांक 13.06.2014 से दिनांक 30.06.2014 तक कुल 18 दिन को अनिवार्य प्रतीक्ष्य अवधि मानते हुए विनियमित किया जाता है।

ह./—

( इग्नेस कुजूर )  
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:—महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./—

( इग्नेस कुजूर )  
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 2601

राँची, दिनांक :- 30-7-15

प्रतिलिपि:—कोषागार पदाधिकारी, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बुण्डू/ संबंधित कनीय अभियंता/ वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

( इग्नेस कुजूर )

सरकार के अवर सचिव।